जनपद - संतकबीरनगर**　　　　**प्रेस विज्ञप्ति**　　　　**दिनाँक 25.04.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित 02 बाल अपचारीगण को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0 सं0 150/2025 धारा 87/137(2)/61(2) BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित 02 नफर बाल अपचारीगण को मेंहदावल रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 24.04.2025 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को 02 बाल अपचारीगण द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.04.2025 को अपहृता को बरामद करते हुए 02 नफर बाल अपचारीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 दीपक कुमार सिंह, म0का0 अनुराधा भारती।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह के नेतृत्व में *थाना दुधारा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 327/2025 धारा 3(1), 2(b)(i) 30प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित 04 वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. दुर्गेश पाल पुत्र योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल 02. योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल पुत्र रंजीत पाल 03. जनार्दन पाल पुत्र रंजीत पाल 04. ज्ञानचन्द निषाद पुत्र हरिनाथ निवासीगण परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये परसाकला बाजार से पहले बंजरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. दुर्गेश पाल पुत्र योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल निवासी परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
02. योगेन्द्र पाल उर्फ जोगेन्द्र पाल पुत्र रंजीत पाल निवासी परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
03. जनार्दन पाल पुत्र रंजीत पाल निवासी परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
04. ज्ञानचन्द निषाद पुत्र हरिनाथ निवासी परसा झकरिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

संक्षिप्त विवरणः-

विदित हो कि उक्त अभियुक्तों का एक सुसंगठित गिरोह है, जो अपने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। थाना कोतवाली खलीलाबाद व थाना बखिरा में हत्या के अभियोग दर्ज होने से समाज में काफी भय, आतंक व्याप्त है तथा उक्त अभियुक्तगणों के भय व आतंक से किसी व्यक्ति द्वारा इनके विरुद्ध इनके द्वारा किए गए गलत कार्यों की सूचना व गवाही देने से डरने के दृष्टिगत गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किए जाने के उपरान्त थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त गैंगेस्टर अभियुक्तों को आज दिनांक 25.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास* -**

01-मु0अ0सं0 21/2025 धारा 326(ए),109(1), 351(3), 49 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
02- मु0अ0सं0 49/2022 धारा 147/302/34 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थानाध्यक्ष दुधारा श्री इन्द्रभूषण सिंह, उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, हे0का0 अनिल मिश्रा, हे0का0 जय कन्नौजिया, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 1,12,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 1,12,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.04.2025 को ***मा0 एससी/एसटी कोर्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 05 अभियुक्तो को मारपीट के मामले में 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 863/2010 धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. राधेश्याम पुत्र अदालती 02. राजमन पुत्र अदालती 03. रामआशीष पुत्र रामबुझार 04. किन्नन पुत्र अदालती 05. रमेश पुत्र सतई निवासीगण पचपेड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मा0 न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 427 भादवि में 01-01 वर्ष की अवधि के लिए 25-25 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान धनराशि के 02-02 प्रतिभू व वादी मुकदमा को 04-04 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान करने व सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू पर छोड़ा गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 25.04.2025 को ***न्यायालय विशेष न्यायाधीश sc/st act*** के द्वारा 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र व समान राशियों के प्रतिभू से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 66/2009 धारा 323/504/506 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण स्वामीनाथ व भवनाथ को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को सदाचार कायम रखने हेतु 01-01 वर्ष की परिविक्षा पर 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी संतकबीरनगर के निर्णय की तिथि से 07 दिवस के अन्दर निष्पादित करने तथा इस आशय की सूचना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। अभियुक्तगण स्वामीनाथ व भवनाथ द्वारा वादी मुकदमा को गाली गलौज देते हुए मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः अभियुक्तगण स्वामीनाथ व भवनाथ परिविक्षा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत 01-01 हजार रूपये बतौर प्रतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा जयप्रकाश दूबें को प्रदान करेगें।

अभियुक्तगण स्वामीनाथ व भवनाथ को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को सदाचार कायम रखने हेतु 01-01 वर्ष की परिविक्षा पर 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू पर छोड़ा गया।